



**क्षेत्रीय कार्यालय**

# **राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल**

रोड नं. 5 के सामने, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, सीकर रोड, जयपुर  
वेबसाइट: [www.rpcb.nic.in](http://www.rpcb.nic.in)

**क्रमांक: रा.प्र.नि.मं./क्षे.का., जय./**

**पर्यावरणीय क्लीयरेंस हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम मोहनपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर द्वारा पैट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनल स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में, पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (यहाँ तथा बाद में "मंडल" के नाम से अभिलिखित) के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

चूंकि मण्डल को उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के अनुसार लोक सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। अतः समस्त संबंधित को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वे उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित प्रकरण के निपटारे के लिए लोक सुनवाई हेतु दिनांक 21 सितम्बर, 2012 को प्रातः 11.00 बजे रा.उ.प्रा. विद्यालय, ग्राम मोहनपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर में उपस्थित होकर अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस संबंध लिखित सुझाव/आक्षेप इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 30 दिवस की अवधि में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, रोड नं. 5 के सामने, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, सीकर रोड, जयपुर अथवा मंडल मुख्यालय, 4, संस्थानिक क्षेत्र, झालाना ढूंगरी, जयपुर में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

उक्त परियोजना से संबंधित संक्षिप्त अभिलेख (कार्यपालक सार) निम्नांकित कार्यालयों पर उपलब्ध है:-

(1) जिला कलेक्टर, जयपुर (2) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जयपुर (3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मुख्यालय, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना ढूंगरी, जयपुर (4) पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार शासन सचिवालय, जयपुर (5) जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर (ग्रामीण) (6) अति. जिला कलेक्टर (चतुर्थ), जयपुर (7) जनसम्पर्क अधिकारी, सूचना केन्द्र, जयपुर (8) ग्राम पंचायत, ग्राम मोहनपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर।

**हस्ता. /—**

**क्षेत्रीय अधिकारी**  
**राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल**  
**जयपुर**